

ऑनर कलिंग की रोकथाम हेतु सुधार

प्रलिमिंस के लिये:

[लगानुपात](#), [भारतीय न्याय संहिता \(BNS\)](#), [वधिआयोग](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [मूल अधिकार](#) ।

मेन्स के लिये:

ऑनर कलिंग से निपटने के लिये आवश्यक सुधार, न्यायिक दृष्टिकोण और वधिकि प्रावधान ।

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश में झूठी शान के चलते एक लड़की को उसके परिवार वालों ने इसलिये **गोली मार** दी क्योंकि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी ।

ऑनर कलिंग क्या है?

- **परिचय:** ऑनर कलिंग का आशय परिवार के किसी सदस्य (आमतौर पर महिला) की हत्या करना है, जिससे रश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है ।
 - ये कृत्य अक्सर पारिवारिक सम्मान, नैतिकता एवं सामाजिक व्यवहार के संबंध में सख्त सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मानदंडों में नहिंति होते हैं ।
- **प्रमुख आँकड़े:** [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 और 2020 में ऑनर कलिंग की संख्या प्रत्येक वर्ष 25 और वर्ष 2021 में 33 रही । लेकिन इससे संबंधित आँकड़े बताए गए आँकड़ों से कहीं अधिक हो सकते हैं ।
- **कारण:**
 - **जातिव्यवस्था:** जाति का दर्जा खोने के भय से (विशेष रूप से अंतरजातीय या समान गोत्र विवाह के विरुद्ध) हिसा को बढ़ावा मलित है ।
 - **पतिसत्तात्मक मानदंड:** महिलाओं को जीवनसाथी चुनने के अधिकार से अक्सर वंचित रखा जाता है तथा विवाह को पारिवारिक सम्मान का पर्याय माना जाता है ।
 - **खाप पंचायतें:** ये अनौपचारिक निकाय (जो प्रमुख जाति के पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती हैं) जातिगत मानदंडों का उल्लंघन करने पर हत्या सहित दंड लगाते हैं ।
 - **लैंगिक असंतुलन:** वषिम लैंगिक अनुपात से महिलाओं के विरुद्ध हिसा (विशेषकर तब जब विवाह का विकल्प पारंपरिक मानदंडों के विपरीत होता है) को बढ़ावा मलित है ।
 - **सामाजिक स्थिति:** निर्धारित सामाजिक स्थिति को व्यक्तिगत उपलब्धियों पर प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण पारिवारिक सम्मान व्यक्तिगत पसंद पर हावी हो जाता है ।
- **परिणाम:**
 - **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** यह जीवन के मूल मानवाधिकार का उल्लंघन है । इससे लैंगिक असमानता के साथ पतिसत्तात्मक मानदंडों को मज़बूती मलित है ।
 - **सामाजिक प्रभाव:** जीवित बचे परिवार और समुदाय गंभीर मनोवैज्ञान संबंधी अभिघात और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं ।
 - **शासन संबंधी चुनौतियाँ:** अप्रभावी वधिकि ढाँचे या सामाजिक स्वीकृति के कारण अपराधकर्ता दंड से बच जाते हैं, जिससे वधिसिम्मत शासन प्रभावित होता है ।
 - **सांस्कृतिक पछिड़ापन:** प्रतगामी परंपराओं को प्रतबिलित करते हुए और प्रगतिको बाधित करते हुए यह महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में बाधा डालता है ।
 - **अंतरराष्ट्रीय परिणाम:** मानहनन आधारित हिसा से वैश्विक मानवाधिकार जाँच की संभावना बढ़ जाती है तथा राजनयिक संबंध प्रभावित होते हैं ।

नोट: ऑनर कलिंग को "हत्या" माना जाता है क्योंकि विधि में उन्हें विशेष रूप से संबोधित नहीं किया गया है। इस प्रकार, वे [भारतीय दंड संहिता, 1860](#) के प्रावधानों के अधीन हैं।

- "वधिविरोध जमाव का प्रतषिध (वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तकषेप) वधियक, 2011" शीर्षक से प्रस्तुत यह वधियक मुख्य रूप से स्व-नरिणयन को रोकने के उद्देश्य से **जातपंचायतों द्वारा** बुलाई गई "वधिविरोध सभा" से संबंधित है।
 - प्रारंभिक समर्थन के बावजूद, यह वधियक संसद में पारित नहीं हो सका और अधिनियम में परिवर्तित नहीं हुआ।
- **भारतीय वधिआयोग** की 242वीं रिपोर्ट (2012) में ऐसे ऑनर कलिंग-रोधी कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिनमें मामलों की जाँच, अभियोजन और दंड के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश हों।

ऑनर कलिंग की रोकथाम हेतु कौन-से वधिक प्रावधान हैं?

- **भारतीय दंड संहिता की धारा 299-304 (अब BNS):** इस धारा के तहत हत्या और हत्या की कोर्ट में न आने वाले अपराधिक मानव वध के दोषी किसी भी व्यक्ति के दंड का प्रावधान किया गया है।
 - हत्या और मानव वध के लिये **आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है।**
 - सदोष मानव वध वह है जब किसी की मृत्यु लापरवाही या अपराधिक आशय के कारण होती है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 307:** इसके तहत हत्या के प्रयास के लिये **10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।**
 - **भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत** गैर इरादतन हत्या के प्रयास के लिये तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- **भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 35:** इसके अंतर्गत सामान्य आशय से व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराधिक कृत्यों के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।

ऑनर कलिंग से संबंधित न्यायिक नरिणय क्या हैं?

- **2006: सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने ऑनर कलिंग को कूर कृत्य बताते हुए और अपराधिकरताओं के लिये कठोर दंड पर बल देते हुए अंतरजातीय विवाह में युवा युगलों के साथ होने वाले उत्पीड़न और हिसा की नदि।
- **2010:** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर कलिंग के अपराधियों को दोषी ठहराया और उन्हें **आजीवन कारावास का दंड दिया।**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने जघन्य अपराधों के लिये जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने के महत्त्व पर बल दिया।
- **2011:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता **संबंध तोड़ सकते हैं**, लेकिन बच्चों को अंतरजातीय विवाह के लिये **डरा-धमका या परेशान नहीं कर सकते।**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अंतरजातीय दम्पतियों को **कानूनी सुरक्षा प्रदान करने तथा उत्पीड़न या हिसा को रोकने** के लिये कार्रवाई करने का नरिदेश दिया।
- **2018:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऑनर कलिंग **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन है तथा ऐसे अपराधों के खिलाफ **सख्त कार्रवाई** की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को **विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करके** तथा पारिवारिक खतरों का सामना कर रहे दम्पतियों को सुरक्षा प्रदान करके ऑनर कलिंग को रोकने का नरिदेश दिया।

आगे की राह:

- **नया कानून:** लक्षित सुरक्षा प्रदान करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, कानूनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाने तथा **सामाजिक परिवर्तन** को बढ़ावा देने के लिये एक समर्पित ऑनर कलिंग विरोधी कानून की आवश्यकता है।
- **चुनावी अयोग्यता:** ऑनर कलिंग की **सामाजिक वैधता को कम किया** जाना चाहिए, इसके लिये दोषी ठहराए गए लोगों को कम-से-कम पाँच वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे लोगों को अधिकार वाले पदों पर नहीं होना चाहिए।
 - इससे ऐसे ऑनर कलिंग आदेशों और गतिविधियों को उचित ठहराने से रोका जा सकेगा तथा जात और समुदाय के आधार पर पंचायतों पर अंकुश लगेगा।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** त्वरित न्याय सुनिश्चित करने तथा पीड़ितों के अधिकारों को कमजोर करने वाली देरी को रोकने के लिये **ऑनर कलिंग के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट** स्थापित किये जाने चाहिए।
- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन:** विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके **पंजीकरण अवधि को एक महीने से घटाकर एक सप्ताह कर दिया गया**, ताकि विवाहों को संभावित खतरों या हिसा से बचाया जा सके।
 - **भारतीय दंड संहिता** में एक प्रावधान शामिल किया जाए जिसमें **ऑनर कलिंग** को परिभाषित कर **दंड का नरिधारण किया जाए**, ताकि कानूनी प्रणाली को ऐसे अपराधों से निपटने तथा उन्हें रोकने में मदद मिल सके।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में ऑनर क्लिगि पर कानूनी प्रावधान और न्यायकि स्थति क्या है? इनसे नपिटने के लयि कनि सुधारों की आवश्यकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्रश्न. "जातवियवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जातवियवस्था का उन्मूलन नहीं कयिा जा सकता है। टपिपणी कीजयि। (2018)

प्रश्न. खाप पंचायतें संवधिानेतर प्राधकिरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधकिार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले नरिणयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थतिको ठीक करने के लयि वधिानमंडल, कार्यपालकिा और न्यायपालकिा द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजयि। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforms-for-combating-honour-killings>

